भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

TRAI

ई–न्यूज़लैटर

मई, **2020**

1. सिफारिशें

1.1 भादूविप्रा ने 10 अप्रैल, 2020 को ''18 जुलाई 2017 की कैप्टिव वीसैट सीयूजी पॉलिसी के मुद्दों'' पर स्पष्टीकरण/पुनर्विचारित राय जारी की।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने 18 जुलाई 2017 को "कैप्टिव वीसैट सीयूजी पॉलिसी के मुद्दों" पर दूरसंचार विभाग को अपनी सिफारिशें भेजी थीं। दूरसंचार विभाग ने 17 मार्च, 2016 के अपने पत्र के माध्यम से कुछ सिफारिशों पर पुनर्विचारित राय/सिफारिशें देने का आग्रह किया था।

2. दूरसंचार विभाग द्वारा दी गई राय पर विचार करने के बाद, प्राधिकरण ने 10 अप्रैल, 2020 को सरकार को अपना जवाब प्रस्तुत किया। दूरसंचार विभाग के पत्र पर विचार करने के बाद मुख्य सिफारिशें निम्नानुसार हैं:

(i) प्रारंभिक वित्तीय बैंक गारंटी (एफबीजी) की राशि, जो आवेदक कंपनी द्वारा कैप्टिव वीसैट सीयूजी लाइसेंस पर हस्ताक्षर करने से पहले प्रस्तुत की जाती है, को 30 लाख रुपये की जगह 15 लाख रुपये किया जाना चाहिए। बाद के वर्षों के लिए, यह दो तिमाही के लाइसेंस शुल्क के बराबर अनुमानित देय राशि के बराबर होनी चाहिए।

(ii) रॉयल्टी शुल्क केवल नियत आवृत्तियों के शुल्क तक सीमित होना चाहिए। कैरियर्स की संख्या से अधिक वीसैट की संख्या के लिए पुनः उपयोग फैक्टर के रूप में अतिरिक्त 25 प्रतिशत राशि लेने का कोई औचित्य नहीं है।

(iii) समस्त प्रक्रियाओं, जिनमें कैप्टिव वीसैट सीयूजी लाइसेंस के संबंध में स्पेस सेगमेंट, ग्राउंड सेगमेंट आदि के लिए लाइसेंस लेना, अनुमोदन/क्लीयरेंश प्राप्त करना शामिल हैं, के लिए आवेदक/लाइसेंसधारी कंपनियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक सिंगल विंडो प्रक्रिया बनाने की सिफारिश की गई है।

https://trai.gov.in/sites/default/files/Recommendation_10042020.pdf

1.2 भादूविप्रा ने 10 अप्रैल 2020 को एफएम रेडियो चैनलों की नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य पर सिफारिश जारी की

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एक पत्र भेजा था, जिसमें उसने भादूविप्रा से एफएम चरण–3 नीति के तहत 283 शहरों (260 नए + 23 वर्तमान) के लिए नए आरक्षित मूल्य पर सिफारिशें प्रस्तुत करने, 2011 से 2015 तक के वर्षों में निर्धारित आरक्षित मूल्यों के सूचीकरण और मुद्रास्फीति जैसे विभिन्न कारकों पर विचार करने का अनुरोध किया है।

प्राधिकरण ने 10 अप्रैल 2020 को अपनी सिफारिशें जारी की हैं, जिनकी मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार है:

(i) 273 नए शहरों में एफएम रेडियो चैनलों का मूल्यांकन तीन मूल्यांकन दृष्टिकोणों के साधारण औसत के आधार पर किया गया है। दृष्टिकोण निम्नलिखित चरों पर आधारित हैं:

Newsletter

- शहर की जनसंख्या
- प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी)
- एफएम रेडियो के श्रोतागण
- वर्तमान एफएम रेडियो ऑपरेटरों द्वारा अर्जित प्रति व्यक्ति सकल राजस्व
- विभिन्न शहरों का बाजार सघनता सूचकांक

(ii) 273 नए शहरों में से प्रत्येक के लिए एफएम रेडियो चैनलों के लिए आरक्षित मूल्य, पूर्वोत्तर क्षेत्र के शहरों, जम्मू एवं कश्मीर, जिनमें प्रत्येक शहर के लिए मूल्यांकन का 40 प्रतिशत निर्धारित किया गया है, को छोड़कर, मूल्यांकन का 80 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।

शेष विवरण नीचे दिए लिंक/क्यूआर कोड में उपलब्ध हैं।

https://trai.gov.in/sites/default/files/Recommendation_FM_11042020.pdf

1.3 भादूविप्रा ने 10 अप्रैल 2020 को "सेट–टॉप बॉक्स की इंटरऑपरेबिलिटी" पर सिफारिश जारी की।

भादूविप्रा ने 11 नवंबर 2019 को "सेट–टॉप बॉक्स की इंटरऑपरेबिलिटी" पर एक परामर्श पत्र जारी किया था। हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों/जानकारी, ओएचडी के दौरान की गई चर्चा और अपने विश्लेषण के आधार पर, भादूविप्रा ने अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दिया। सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं:

(i) भारत में सभी एसटीबी सैद्धांतिक रूप से तकनीकी इंटरऑपरेबिलिटी को सपोर्ट करने वाले होने चाहिए अर्थात् उपभोक्ता को दिया गया प्रत्येक एसटीबी इंटरऑपरेबल होना चाहिए।

(ii) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय अनुमति/पंजीकरण/केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमावली में उचित खंड/शर्त शमिल करें जिससे इंटरऑपरेबल एसटीबी, चाहे वे डीपीओ द्वारा मुहैया कराए गए हों या उपभोक्ता द्वारा खुले बाजार से खरीदे गए हों, के जरिये सेवा मुहैया कराने को सभी डीपीओ (डीटीएच और एमएसओ) के लिए अनिवार्य किया जा सकें।

(iii) यूनिवर्सल एसटीबी के मार्ग में तकनीकी और वाणिज्यिक बाधाएं हैं। इसलिए, मौजूदा खंड/शर्त में यथा निर्धारित तिथि से एसटीबी की इंटरऑपरेबिलिटी डीटीएच या केबल सेगमेंट में सुनिश्चित की जाए। इंटरऑपरेबिलिटी क्रमशः डीटीएच सेगमेंट और केबल सेगमेंट के भीतर लागू होगी।

पूर्ण सिफारिशें नीचे दिए लिंक/क्यूआर कोड में उपलब्ध हैं।

https://trai.gov.in/sites/default/files/Recommendation_11042020.pdf

Newsletter

1.4 भादूविप्रा ने 28 अप्रैल 2020 को "भारत में टेलीविज़न ऑडियंस मेजरमेंट और रेटिंग सिस्टम की समीक्षा" पर सिफारिश जारी की।

भादूविप्रा ने 3 दिसंबर 2019 को "भारत में टेलीविज़न ऑडियंस मेजरमेंट और रेटिंग सिस्टम की समीक्षा" पर एक परामर्श पत्र जारी किया था। हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों/जानकारी, ओएचडी के दौरान हुई चर्चा और अपने स्वयं के विश्लेषण के आधार पर, भादूविप्रा ने अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दिया। सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

i. हितों के टकराव के संभावित जोखिम को कम करने, विश्वसनीयता में सुधार करने, और पारदर्शिता लाने, और टीआरपी मेजरमेंट सिस्टम में सभी हितधारकों का विश्वास बढ़ाने के लिए संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता है।

ii. बार्क (BARC) इंडिया की संरचना में प्रस्तावित संरचनात्मक सुधारों के भाग के रूप में बदलाव किया जाना चाहिए। बोर्ड में कम से कम पचास प्रतिशत स्वतंत्र सदस्य होने चाहिए, जिसमें देश के शीर्ष संस्थान(नों) से राष्ट्रीय स्तर पर प्रख्यात मेजरमेंट प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ के रूप में एक सदस्य, एक सांख्यिकीविद् और सरकार/विनियामक से दो प्रतिनिधि शामिल किए जाने चाहिए।

iii. बार्क (BARC) इंडिया के पुनर्गठन बोर्ड में तीन घटक उद्योग संघों यथा एएएआई, आईएसए और आईबीएफ को समान प्रतिनिधित्व और उनकी इक्विटी होल्डिंग के अनुपात पर ध्यान दिए बिना समान मतदान अधिकार दिए जाने चाहिए। बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष होगा।

सिफारिशों का पूरा विवरण नीचे दिए लिंक/क्यूआर कोड में उपलब्ध है।

https://trai.gov.in/sites/default/files/Recommendation_28042020.pdf

1.5 22 अप्रैल 2020 को 'वायरलाइन एक्सेस सेवाओं के वाणिज्यिक लॉन्च से पहले नेटवर्क परीक्षण' पर सिफारिशें जारी की गई

दूरसंचार विभाग से 16 जुलाई 2019 को एक पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें यह सूचित किया गया था कि सरकार ने 'वाणिज्यिक सेवाओं के लॉन्च से पहले नेटवर्क परीक्षण' पर भादूविप्रा की 04 दिसंबर 2017 की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है, और इसके अलावा, भादविप्रा से भादूविप्रा अधिनियम, 1997 के खंड 11 (1) (ए), जिसमें भादूविप्रा संशोधन अधिनियम, 2000 द्वारा संशोधन किया गया है, के अनुसार वायरलाइन एक्सेस सेवाओं के वाणिज्यिक लॉन्च से पहले नेटवर्क परीक्षण पर इसी तरह की सिफारिशें प्रस्तुत करने का भी अनुरोध किया गया है।

2. वायरलाइन एक्सेस सेवाओं के संबंध में दूरसंचार विभाग से प्राप्त पत्र के अनुसार, वायरलाइन एक्सेस सेवा के वाणिज्यिक लॉन्च से पहले नेटवर्क परीक्षण के मानदंडों को तय करने के लिए सिफारिशों को तैयार करने के लिए एक परामर्श प्रक्रिया शुरू की गई थी। बहरहाल, 04 दिसंबर, 2017 को वाणिज्यिक सेवाओं के लॉन्च से पहले नेटवर्क परीक्षण पर सिफारिशों को तैयार करने के लिए परामर्श प्रक्रिया के दौरान उठाए गए और जांचे गए अधिकांश मुद्दे, वायरलाइन एक्सेस सेवाओं पर भी समान रूप से लागू थे; प्राधिकरण ने प्रासंगिक मुद्दों पर हितधारकों से जानकारी लेने के लिए 31 दिसंबर 2019 को 'वायरलाइन एक्सेस सेवाओं के वाणिज्यिक लॉन्च से पहले नेटवर्क परीक्षण' पर विस्तृत मसौदा सिफारिशें जारी कीं।

Newsletter

3. हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों/जानकारी और अपने स्वयं के विश्लेषण के आधार पर, भादूविप्रा ने 'वायरलाइन एक्सेस सेवाओं के वाणिज्यिक लॉन्च से पहले नेटवर्क परीक्षण' पर अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दिया । पूर्ण सिफारिशों को नीचे दिए लिंक के जरिये देखा जा सकता है

https://trai.gov.in/sites/default/files/Recommendations_22042020.pdf

2. विनियम

2.1 भादूविप्रा ने दूरसंचार इंटरकनेक्शन उपयोग प्रभार (सोलहवां संशोधन) विनियम, 2020 जारी किया:

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने 17.04.2020 को "दूरसंचार इंटरकनेक्शन उपयोग प्रभार (सोलहवां संशोधन) विनियम, 2020 (2020 का 4)" जारी किया। इन विनियमों के माध्यम से, 0.30 रुपये प्रति मिनट के नियत अंतर्राष्ट्रीय समाप्ति प्रभार (आईटीसी) की व्यवस्था को 0.35 रुपये प्रति मिनट से 0.65 रुपये प्रति मिनट की निर्धारित सीमा के भीतर प्रविरत व्यवस्था में संशोधित किया गया है। इसके अलावा, स्टैंडअलोन और एकीकृत अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी के ऑपरेटरों (आईएलडीओ) के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए, यह अनिवार्य किया गया है कि पहुंच सेवा प्रदाता सभी को यानी अपने संबद्ध आईएलडीओ और स्टैंडअलोन आईएलडीओ को आईटीसी की गैर–विभेदक दर मुहैया कराएगा। ये विनियम 01.05.2020 से लागू हुए हैं।

3. परामर्श पत्र

3.1 भादूविप्रा ने 22 अप्रैल, 2020 को ''स्पेक्ट्रम शेयरिंग के मामलों में एसयूसी आकलन की भारित औसत विधि के तहत स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (एसयूसी) लागू करने की पद्धति'' पर एक परामर्श पत्र जारी किया।

दूरसंचार विभाग ने 15 जनवरी 2020 के अपने पत्र के माध्यम से, अन्य बातों के साथ–साथ सूचित किया कि दूरसंचार विभाग द्वारा 24 सितंबर 2015 को जारी पहुंच सेवा प्रदाताओं द्वारा एक्सेस स्पेक्ट्रम की शेयरिंग के लिए मौजूदा दिशानिर्देशों में यह प्रावधान किया गया है कि शेयरिंग के बाद प्रत्येक लाइसेंसधारी शेयर की एसयूसी दर, समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के 0.5 प्रतिशत तक बढ़ जाती है। दूरसंचार विभाग ने यह भी बताया कि उसे पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें यह अनुरोध किया गया है कि शेयरिंग के बाद 0.5 प्रतिशत की वृद्धिशील एसयूसी दर केवल विशेष स्पेक्ट्रम बैंड पर लागू होनी चाहिए जिसे दो लाइसेंसधारियों के बीच साझा करने की अनुमति दी गई है, न कि लाइसेंसधारियों के पूरे स्पेक्ट्रम पर। चूंकि एक विशेष बैंड में साझा करने की अनुमति है। इस पृष्ठभूमि में, दूरसंचार विभाग ने भादूविप्रा से इन पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने का अनुरोध किया था (i) क्या स्पेक्ट्रम के बंटवारे के मामलों में एसयूसी दर में वृद्धिशील 0.5 प्रतिशत को केवल उस विशिष्ट बैंड पर लागू किया जाना चाहिए जिसमें शेयरिंग हो रही है; या एसयूसी की समग्र भारित औसत दर पर, जो सभी बैंड से प्राप्त की गई है और (ii) कोई और सिफारिश जो यथा संशोधित भादूविप्रा अधिनियम 1997 के तहत इस प्रयोजन के लिए उचित समझी जाए।

Newsletter

इस संबंध में, 22 अप्रैल, 2020 को ''स्पेक्ट्रम शेयरिंग के मामलों में एसयूसी आकलन की भारित औसत विधि के तहत स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (एसयूसी) लागू करने की पद्धति'' पर एक परामर्श पत्र जारी किया गया था, जिसमें परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर हितधारकों से टिप्पणियां/काउंटर टिप्पणियां मांगी गई थी।

3.2 भादूविप्रा ने 22 अप्रैल 2020 को ''प्रसारण एवं केबल सेवाओं के लिए कंडिशनल एक्सेस सिस्टम (सीएएस) और सब्सक्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस) के तकनीकी अनुपालन हेतु फ्रेमवर्क'' पर एक परामर्श पत्र जारी किया

यह परामर्श पत्र प्रसारण एवं केबल सेवाओं के लिए कंडिशनल एक्सेस सिस्टम (सीएएस) और सब्सक्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस) के तकनीकी अनुपालन से संबंधित मुद्दों पर सभी हितधारकों की टिप्पणियां/राय प्राप्त करने के लिए जारी किया गया है, ताकि उचित विनियामक फ्रेमवर्क तैयार किया जा सकें।

हितधारकों से टिप्पणियां देने का अनुरोध किया गया था।

इस न्यूजलैटर में उल्लिखित निर्देशों/आदेशों/परामर्श पत्र/रिपोर्ट, सब्सक्रिप्शन के आंकड़ों आदि का पूरा विवरण भादूविप्रा की वेबसाइट ***www.trai.gov.in*** पर भी उपलब्ध है।

महानगर दूरसंचार भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, (पुराना मिंटो रोड़) नई दिल्ली–110002

हम फेसबुक पर भी हैं! आइये हमारे साथ!

https://www.facebook.com/TRAI/

हम ट्विटर पर भी हैं! आइये हमारे साथ! ***TRAI@TRAI***

Newsletter